पत्र सूचनाशाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०
(राज्यपाल सूचना परिसर)

राज्यपाल ने की जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की समीक्षा बैठक

विश्वविद्यालय ऑडिट आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण करें

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी न हो

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक भी ई कंटेंट तैयार करे

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

लखनऊ : 17 जून, 2021

विश्वविद्यालय ऑडिट आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण करें साथ ही वित्तीय नियमों का भी अक्षरशः पालन किया जाये ये निर्देश उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज वर्चुअली जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अनउपयोगी खातों को बंद करते हुए विश्वविद्यालय में वित्तीय जरूरतों के लिये न्यूनतम खाते रखे जायें साथ ही कैश बुक तथा बैलन्स सीट अनिवार्य रूप से तैयार की जाये।

कुलाधिपति ने जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय में जो निर्माण कार्य चल रहे है उनका नियमित अनुश्रवण कमेटी बनाकर किया जाये उचित होगा कि इस कार्य हेतु अनुश्रवण कमेटी गठित कर दी जाये। राज्यपाल जी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी न हो तो निर्माण कार्य अपने समय पर हो जाये। शैक्षिक सत्र पर चर्चा करते हुये उन्होंने निर्देश दिये कि नयी शिक्षा नीति लागू करने हेतु समीक्षा बैठके यथा शीघ्र करके तैयार प्रस्ताव को विद्या परिषद की बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत करें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक भी ई कंटेंट तैयार करे तथा लिविंग लीजेण्ड के विशिष्टीकरण पर व्याख्यान माला भी आयोजित की जानी चाहिये।

कुलाधिपति ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय में जो भी विवादित प्रकरण है उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करे तथा उन्हें शीघ्र निस्तारित कराये। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में पूर्ण पादर्शिता बरती जाये, पूर्व में नियुक्तियों से सम्बन्धित जो भी विवादित प्रकरण है उनके निस्तारण की

दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करते हये नवीन नियुक्तियों के विज्ञापन जारी किये जाये जिसमे नियुक्ति के लिये निर्धारित सभी मापदण्डों का उल्लेख हो।

कुलाधिपति ने दोनों विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केन्द्रो पर चर्चा करते हुये निर्देश दिये कि महिला सशक्तीकरण के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य स्वाभिमान, सुरक्षित मातृत्व, कुपोषण तथा आर्थिक स्वावलबंन के कार्यक्रम चलाये जायें, इसमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा विशिष्ट महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों आदि को शामिल करते हुये विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाये, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं, सामाजिक कुरीतियों तथा रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये एक करने से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी ग्राम सभा में दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को बाल–सदन, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, जच्चा–बच्चा अस्पताल आदि का भ्रमण करायें ताकि वे अपने जीवन में सही और गलत के उत्तर को जान सकें तथा बच्चों की ऐसी टीम तैयार करे जो ग्रामीण महिलाओं का अपने अनुभव बांटने के साथ व्याख्यान भी दे सकें।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कोविड–19 टीकाकरणः योग दिवस तथा वृहद् वृक्षारोपण की तैयारी के निर्देश दिये।

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, सहित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

———

राम मनोहर त्रिपाठी / राजभवन(244 / 31)

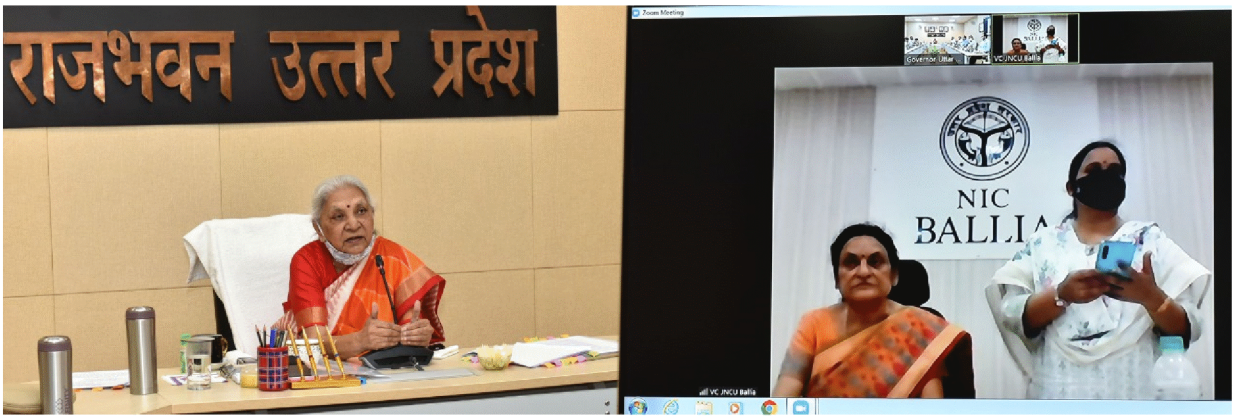

राजभवन उत्तर प्रदेश
NIC

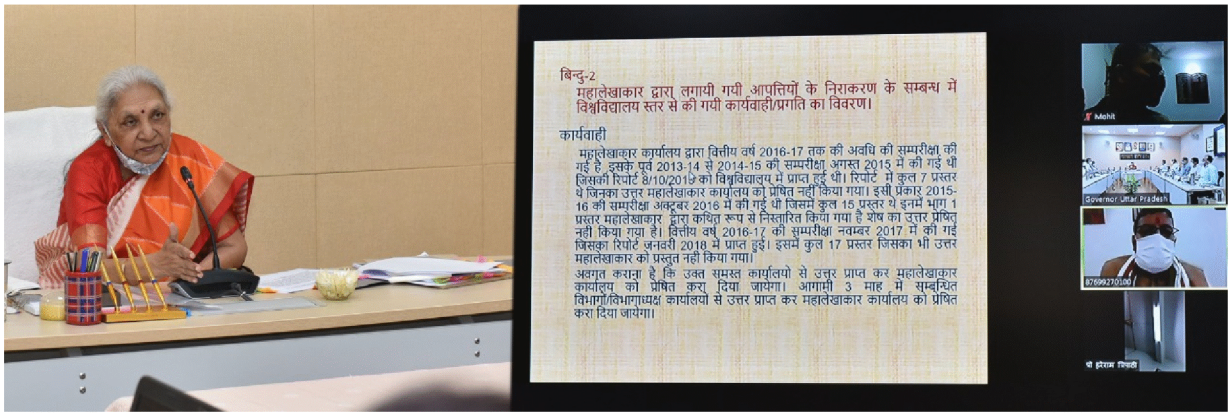

बिन्दु-2
महालेखाकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही/प्रगति का विवरण।
कार्यवाही
महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि की सम्परीक्षा की गई है, इसके पूर्व 2013-14 से 2014-15 की सम्परीक्षा अगस्त 2015 में की गई थी जिसकी रिपोर्ट 8/10/2017 को विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट में कुल 7 प्रस्तर थे जिनका उत्तर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। इसी प्रकार 2015-16 की सम्परीक्षा अक्टूबर 2016 में की गई थी जिसमें कुल 15 प्रस्तर थे इनमें भाग 1 प्रस्तर महालेखाकार द्वारा कथित रूप से निस्तारित किया गया है शेष का उत्तर प्रेषित नही किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की सम्परीक्षा नवम्बर 2017 में की गई जिसका रिपोर्ट जनवरी 2018 में प्राप्त हुई। इसमें कुल 17 प्रस्तर जिसका भी उत्तर महालेखाकार को प्रस्तुत नही किया गया।
अवगत कराना है कि उक्त समस्त कार्यालयो से उत्तर प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करा दिया जायेगा। आगामी 3 माह में सम्बन्धित विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों से उत्तर प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करा दिया जायेगा।
Mohit
Governor Uttar Pradesh